संख्या : 1895/XXXI(13) G-2012-61(सू.अ.)/2012

प्रेषक,

सुरेन्द्र सिंह रावत,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तराखण्ड।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

सामान्य प्रशासन विभाग

देहरादूनः दिनांकः 08 जून, 2012

विषयः मा0 उच्चतम् न्यायालय द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत "सूचना" को स्पष्ट किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में यह अवगत कराना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदकों द्वारा लोक प्राधिकारियों के लोक सूचना अधिकारियों से ऐसी सूचनाएं मांगी जाती हैं जो धारित नहीं होती हैं अथवा लोक सूचना अधिकारी के क्षेत्राधिकार के बाहर की होती हैं, उक्त के अतिरिक्त आवेदकों द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर लोक सूचना अधिकारी से राय या मंतव्य देने का अनुरोध किया जाता है जो कि उनके क्षेत्राधिकार से बाहर का विषय है।

2. सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों की केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और अन्य बनाम आदित्य बन्द्योपाध्याय और अन्य में सिविल अपील संख्या (6454/2011) के मामले में मा0 उच्चतम् न्यायालय

द्वारा व्याख्या की गयी है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत 'सूचना' की व्याख्या के मा0 उच्चतम् न्यायालय के निर्णय के सुसंगत अंश निम्नानुसार हैं :–

"इस मोड पर, यह आवश्यक है कि आर.टी.आई. अधिनियम के विषय में कुछ भ्रांतियों को स्पष्ट कर दिया जाए। आर.टी.आई. में सभी सूचना जो *उपलब्ध और विद्यमान है तक पहुंच का प्रावधान है। यह अधिनियम की धारा* 2 के खण्ड (च) और (त्र) के अंतर्गत 'सूचना' और 'सूचना का अधिकार' की परिभाषाओं और धारा 3 के सम्मिलित पठन से स्पष्ट है। यदि किसी लोक प्राधिकरण के पास कोई सूचना डाटा अथवा विश्लेषित डाटा, अथवा सारों, अथवा आंकड़ों के रूप में हो तो कोई आवेदक ऐसी सूचना तक अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानों का ध्यान रखते हुए पहुंच बना सकता है। किन्तु जहां सूचना किसी लोक प्राधिकरण के अभिलेख का कोई भाग नहीं है, और जहां ऐसी सूचना लोक प्राधिकरण के किसी कानून अथवा नियमों अथवा विनियमों के अंतर्गत बनाए रखी जानी अपेक्षित नहीं है, अधिनियम लोक प्राधिकरण पर ऐसी अनुपलब्ध सूचना को एकत्र करने अथवा मिलाने और तत्पश्चात् किसी आवेदक को इसे प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। किसी लोक प्राधिकरण से निष्कर्षो को निकालने और/अथवा मान्यताओं को बनाने की या, 'मत' दिये जाने की अपेक्षा नहीं की जाती है, न ही किसी आवेदक को किसी 'मत' अथवा 'सलाह' को प्राप्त करने और दिए जाना अपेक्षित है। अधिनियम की धारा 2(च) में 'सूचना' की परिभाषा में 'मत' अथवा 'सलाह' का संदर्भ, मात्र लोक प्राधिकरण के अभिलेखों में उपलब्ध ऐसे मसौदे से संदर्भित है। अनेक लोक प्राधिकरण, एक लोक सम्पर्क अधिकारी के रूप में, नागरिकों को सलाह, मार्गदर्शन और मत उपलब्ध करवाते हैं। किन्तु यह पूर्णतः स्वैच्छिक है और आर.टी.आई. अधिनियम के अंतर्गत किसी बाध्यता के साथ इसे भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए।"

3. मा0 उच्चतम न्यायालय ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आवेदक द्वारा जो 'सूचना' लोक प्राधिकारी के लोक सूचना अधिकारी से मांग की जा सकती है उसे स्पष्ट कर देने के बाद अब इस सम्बन्ध में कोई अस्पष्टता की स्थिति नहीं रह जाती है। मुझे यह कहने का निदेश हुआ

है कि अपने अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारियों को 'सूचना' की मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या की ओर ध्यान आकृष्ट करके उनको इसके लिए समुचित निर्देश दे दें कि वे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत 'सूचना' के लिए आवेदन करने पर पहले इस बात का समाधान कर लें कि सूचना के रूप में जिन तथ्यों की मांग की जा रही है क्या वह 'सूचना' है, और यदि सूचना है तो क्या वे धारा 8 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्रकटन से छूट प्राप्त हैं? यदि आवेदित तथ्य सूचना है और उन्हें प्रकटन से छूट नहीं है तब यथाशीघ्र परन्तु आवेदन से 30 दिन के अन्दर मांगी गयी सूचना आवेदक को उपलब्ध कराने के लिए तत्परता से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

भवदीय,

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
संचिव।

संख्या : 1895/XXXI(13) G-2012-61(सू.अ.)/2012, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, देहरादून।
2. समस्त अनुभाग अधिकारी, उत्तराखण्ड सचिवालय।
3. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर को विभागीय वेबसाईट में अपलोड़ करने के अनुरोध सहित प्रेषित।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रमेश कुमार)
उप सचिव।